File No.81-7005(099)/274/2020-07-,

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2022 को अपरान्ह 12:30 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2022 को अपरान्ह 12:30 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– श्री अजय कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– श्री महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– श्री कुमार प्रशान्त, विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– श्री सुशील कुमार पटेल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8– श्री अमित सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9– श्री राजेश अवस्थी, मुख्य अभियन्ता, (लखनऊ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10– श्री आर0के0 चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
11– श्री अजय द्विवेदी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
12– डा0 असलम अंसारी, अपर निदेशक पशु, नगरीय निकाय, उ0प्र0।
13– श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गीडा, गोरखपुर। (वी0सी0 के माध्यम से)
14– श्री सुरेश चन्द्रा, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम गोरखपुर। (वी0सी0 के माध्यम से)
15– श्री सुरेश कुमार मौर्या, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद। (वी0सी0 के माध्यम से)
16– श्रीमती ज्योतिमा वर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मगहर। (वी0सी0 के माध्यम से)
17– श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर। (वी0सी0 के माध्यम से)

2– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं पूर्व में उक्त के उल्लंघन हेतु अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद की सुनवाई दिनांक 17.01.2022 को नियत है।

3– बैठक में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत् समीक्षा की गयी :–

1– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन का कार्य :–

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत मगहर एवं नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में फीकल स्लज शोधन हेतु 32 के0एल0डी0 क्षमता के पृथक–पृथक फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत रू0 578.88 लाख स्वीकृत हुई है एवं प्रथम किस्त रू0 72.36 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। दिनांक 03.01.2022 को उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को एल.ओ.आई. निर्गत की गयी है। उक्त दोनों नगर पंचायत, मगहर एवं नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एफ.एस.टी.पी. के स्थापना हेतु भूमि का आवंटन जिलाधिकारी, संतकबीर नगर द्वारा शीघ्र किया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, संतकबीर नगर से समन्वय स्थापित कर भूमि के आवंटन का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करायें एवं एफ.एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें। पूर्व में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों में शिथिलता के कारण अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत मगहर एवं नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों स्थानीय निकायों में लिक्विड सीवेज के शुद्धिकरण हेतु एसटीपी की स्थापना अमृत 2.0 योजना में समय से प्रस्तावित करायें एवं इस हेतु जो भी औपचारिकता है, उसे पूर्ण करायें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

2– <u>गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना :–</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 93.52 करोड़ की लागत से 7.5 एमएलडी क्षमता का सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु एन0एम0सी0जी0 के पत्र दिनांक 11.01.2022 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन दिनांक 24.11.2021 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण लखनऊ में किया गया तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा टी0ओ0आर0 निर्गत किया गया है एवं वर्तमान में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा में 55 जल प्रदूषणकारी उद्योग है, जिनमें से 52 उद्योग वर्तमान में मानकों की प्राप्ति कर रहें है एवं 03 उद्योग बन्द है। 06 उद्योगों के विरूद्ध पूर्व के उल्लंघन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

मुख्य सचिव द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि सभी उद्योगों में ई0टी0पी0 स्थपित है तो सी0ई0टी0पी0 का औचित्य क्या है? इस पर सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि जल प्रदूषणकारी उद्योग से डिफाल्ट होने की स्थिति में आमी नदी की जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं भविष्य की मांग हेतु सी0ई0टी0पी की आवश्यकता है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भी इस संबंध में अवगत कराया गया कि सी0ई0टी0पी की आवश्यकता हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट पूर्व में आई0आई0टी0 रूडकी द्वारा तैयार की गई थी तथा उक्त रिपोर्ट में सी0ई0टी0पी0 की आवश्यकता दर्शायी गयी है। अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि गीडा औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति उद्योगो के प्रदूषण नियमों की अनुपालन की जांच करा ली जाये तथा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना का औचित्य भी ज्ञात कर अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम/गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– <u>जल निगम द्वारा रामगढ़ ताल में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण :–</u>

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ ताल में मुख्यतः 24 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें मुख्य 06 नालों के सीवेज का शुद्धिकरण एस0टी0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 18 नालों के शुद्धिकरण हेतु सीवेज नेटवर्क एवं 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य अमृत योजना (प्रस्तावित समय सीमा–मार्च, 2022) एवं आर0के0वी0के0 परियोजना (प्रस्तावित समय सीमा–मई, 2023) के अन्तर्गत किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत हरबर्ट बंधे का निर्माण एवं तदोपरान्त इंटर सेक्शन ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है। चूंकि वर्तमान में बंधे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसलिए तदोपरान्त ही ड्रेन का निर्माण किया जाना सम्भव होगा। उक्त के दृष्टिगत समय–सीमा मई, 2023 निर्धारित की गयी है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/ फाइटोरेमिडेशन द्वारा उक्त 18 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूर्व में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों में शिथिलता के कारण उ0प्र0 जल निगम के 03 अधिकारियों के विरूद्ध चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों को निर्धारित समय–सीमा से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– <u>राप्ती नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण :–</u>

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर स्थित राप्ती नदी एवं उसकी सहायक नदियों में मुख्यतः 15 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिनमें 08 मुख्य नालों हेतु 44 एम0एल0डी0 की स्थापना के संबंध में डी0पी0आर0 धनराशि रू0 271.84 करोड़ स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया गया है एवं कार्य पूर्ण किया जाना माह सितम्बर, 2024 प्रस्तावित है। एक मुख्य ड्रेन जिसमें 10 एम0एल0डी0 की स्थापना की जानी है, को अमृत–2.0 में लिया जायेगा (प्रस्तावित समय सीमा–सितम्बर, 2024) तथा शेष 06 मुख्य ड्रेन को भी अमृत–2.0 में लिया जायेगा (प्रस्तावित समय सीमा–मार्च, 2024) है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों को निर्धारित समय–सीमा से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाये तथा परियोजना स्वीकृति के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को मुख्य सचिव के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कराया जाये।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन द्वारा 05 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है तथा शेष 10 नालों के शुद्धिकरण हेतु फाइटोरेमिडेशन का कार्य नीरी, नागपुर को दिया गया है, किन्तु अभी

तक अनेको पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र निदेशक, नीरी, नागपुर को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त/नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– <u>सरयू नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सरयू नदी में 22 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें 05 नाले टैप हैं तथा 12 एमएलडी एस0टी0पी0 द्वारा सीवेज का शुद्धिकरण हो रहा है। 16 नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 06 एम0एल0डी0 एवं 33 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 एस0टी0पी0 स्वीकृत है। अयोध्या कैंट एरिया का निर्मली कुण्ड नाला की टैपिंग हेतु योजना अमृत 2.0 परियोजना से स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। नगर विकास विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अयोध्या हेतु सीवरेज नेटवर्क स्वीकृत किया गया है। उक्त सभी कार्यों की समय–सीमा वर्ष 2024 प्रस्तावित हैं। पूर्व में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों में शिथिलता के कारण अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, इल्तीफातगंज के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों को निर्धारित समय–सीमा से पूर्व पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम)

6– <u>घाघरा नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि घाघरा नदी में 19 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है तथा उक्त नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 04 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिनकी प्रस्तावित क्षमता क्रमशः 15 एम0एल0डी0, 2.5 एम0एल0डी0, 6 एम0एल0डी0 एवं 6 एम0एल0डी0 है। उक्त सभी एस0टी0पी0 की कार्य पूर्ण होने की समय–सीमा सितम्बर, 2024 प्रस्तावित है। घाघरा नदी में 02 ड्रेन देवरिया, 04 ड्रेन गोरखपुर, 04 ड्रेन मऊ तथा 09 ड्रेन्स अम्बेडकर नगर जनपदों के अन्तर्गत हैं। बैठक में निर्देश दिया गया कि उक्त ड्रेन्स को अमृत 2.0 योजना से वित्त पोषित कराने हेतु कार्यवाही की जाये। पूर्व में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों में शिथिलता के कारण 03 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज, देवरिया, नगर पंचायत, बड़हलगंज, गोरखपुर एवं नगर पंचायत, दोहरीघाट, मऊ के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों को निर्धारित समय–सीमा से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम)

7– <u>नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की स्थापना :–</u>

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण

किये जाने हेतु मगहर रोड पर ग्राम–सुथनी एवं भीटी रावत में 10.36 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर क्रय कर लिया गया है। एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 31.579 करोड़) जल निगम द्वारा तैयार कर नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी है, डी0पी0आर0 में समय सीमा दिसम्बर, 2022 प्रस्तावित की गयी है। सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 09.12.2021 द्वारा हो गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने के साथ–साथ नगरीय ठोस अपशिष्ठ के प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु डोर टू डोर एकत्रण एवं पृथक्कीकरण सुनिश्चित किया जाये एवं होम कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

8– <u>राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल को वेटलैण्ड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

सिचांई विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के वेटलैण्ड घोषित किये जाने संबंधी नोटिफिकेशन कर दिया गया है तथा नदियों के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के सीमांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए उन्हें विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जाय। अतिक्रमण से मुक्त भूमि तथा रिक्त भूमि पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का कार्य आगामी वर्षाकाल में वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये। वन विभाग द्वारा इसकी विस्तृत कार्ययोजना बना ली जाए तथा समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही की आख्या भी उपलब्ध करायी जाये। सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड प्लेन जोन की रिक्त भूमि चिन्हित कर वन एवं वन्यजीव विभाग को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाये ताकि उसमें वृक्षारोपण किया जा सके।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, गृह/सिंचाई एवं जल संसाधन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/संबंधित जिलाधिकारी/गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

9– <u>बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड :–</u>

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ जमा नहीं की गयी है एवं अवगत कराया गया कि मेडिकल कालेज द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पुनर्विचार हेतु रिव्यू पिटीशन मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त रिव्यू एप्लीकेशन की प्रभावी पैरवी की जाये।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग)

10– <u>लखनऊ में सीवेज मैनेजमेन्ट के गैप को समाप्त किये जाने के संबंध में :–</u>

नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में लगभग 784 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होता है, जिसमें से वर्तमान में 445 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 एस0टी0पी0 लखनऊ शहर में कार्यरत है।

120 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, जिसकी समय– सीमा दिसम्बर, 2022 है तथा अतिरिक्त 39 एम0एल0डी0 एवं 01 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, जिनकी समय सीमा फरवरी, 2023 है। इसके अतिरिक्त 03 एस0टी0पी0 जिनकी क्षमता क्रमशः 22 एम0एल0डी0 80 एम0एल0डी0 एवं 85 एम0एल0डी0 है, को नमामि गंगे फेज–2 में सम्मिलित किया गया है तथा कार्य पूर्ण किये जाने की प्रस्तावित माह सितम्बर, 2024 है। प्रस्तावित एसटीपी की स्थापना के उपरान्त लखनऊ नगर का सीवेज ट्रीटमेन्ट गैप समाप्त हो जायेगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाय एवं जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है उनकी स्वीकृति हेतु तत्काल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11– <u>लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन</u> :–

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन न किये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध रू0 14.4071 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित की गयी है एवं एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट आपरेटर मेसर्स इको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, सीवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 25.3271 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं पूर्व के उल्लंघन हेतु कार्यदायी संस्था मेसर्स ईको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, सीवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 14.4071 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। पूर्व में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों में शिथिलता के कारण पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ को निलम्बित एवं 02 अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम के विरूद्ध चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु संस्तुति की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाये तथा लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन कार्य की प्रगति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचित करते हुए बायो–रेमेडियेशन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

<u>बैठक के अंत में निम्न निर्देश दिये गये</u> :–

1) सभी कार्यों की कार्ययोजना के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2) आमी, राप्ती, सरयू एवं घाघरा नदियों में गिरने वाले नालों की टैपिंग से संबंधित सीवेज नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है उनमे कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा नगर विकास विभाग मासिक समीक्षा कर कार्यों को न्यूनतम अवधि में कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण करायें।

3) जिन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग/एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

4) सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों में निहित अपने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति, अनुपालन पूर्ण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण

समय–सीमा सहित कार्ययोजना, अनुपालन में विलम्ब का औचित्य तथा कृत कार्यवाही की आख्या के संबंध में टॉक्सिंग बुलेट बिन्दु तैयार कर 27 जनवरी, 2022 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ईमेल– **soenvups@rediffmail.com**) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल– **ms@uppcb.in**) को प्रेषित किया जाय। उक्त अनुपालन की स्थिति में विगत आदेश दिनांक 07.09.2021 के पश्चात् मा0 एन0जी0टी0 के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति का पृथक से समावेश अवश्य हो।

5) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही – समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(**मनोज सिंह**)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–एन0जी0टी0–14/81–7–2022–44(रिट)/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, लखनऊ।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(**आशीष तिवारी**)
सचिव।